प्रेस नोट–174 / 2026
दिनांक 28.03.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय को आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त

श्री राजीव कृष्णा, पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन एवं श्री नवीन अरोरा, अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें मुख्यालय, उ0प्र0 के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय को उत्कृष्ट कार्यप्रणाली एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाओं के लिए आईएसओ (ISO) प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। यह उपलब्धि मुख्यालय द्वारा तकनीकी सेवाओं के संचालन, रख–रखाव एवं प्रबंधन में अपनाए गए उच्च मानकों को दर्शाती है।

तकनीकी सेवायें मुख्यालय द्वारा क्राइम एवं क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम (CCTNS) के सॉफ्टवेयर संचालन एवं तकनीकी सहायता, उपकरणों की खरीद एवं उनके अनुरक्षण, पुलिस कार्मिकों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने, विभिन्न तकनीकों के एकीकरण (Technology Integration) तथा CCTNS के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के सुदृढ़ीकरण का कार्य प्रभावी ढंग से किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, संबंधित प्रशासनिक एवं सहायक प्रक्रियाओं को भी सुव्यवस्थित एवं मानकीकृत किया गया है, जिससे कार्यों में पारदर्शिता, दक्षता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित हो रही है।

यह आईएसओ प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश पुलिस एवं तकनीकी सेवाएं मुख्यालय द्वारा जनसेवा, तकनीकी उन्नयन, नवाचार एवं आधुनिक पुलिसिंग के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जो प्रदेश में कानून–व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने में सहायक सिद्ध होगा।

Registration Certificate

Certificate No. - 26RN03HC

This is to certify that

UP Police Technical Services Headquarters

8th Floor, Tower - 4, Police Headquarters, Amar Shaheed Path, Gomti Nagar Extension,
Lucknow – 226002, Uttar Pradesh, India.

has been assessed by RICL and found to comply with the requirements of

ISO 9001 : 2015

Quality Management Systems

For the following activities:

Provision for Operation, Maintenance, and Management of UP Police Technical Services including Software and Support of Crime & Criminal Tracking Network and System (CCTNS), Procurement & Maintenance of Equipment at Technical Services, Technical Training of Police Personnel, Technology Integration, IT Infrastructure of CCTNS, Associated Administrative and Support Processes.

Date of Initial Certification: 27/03/2026
Ist Surveillance on or before: 26/02/2027
IInd Surveillance on or before: 26/02/2028
Certification Valid Until: 26/03/2029
IAF Organization ID: R2603145

Director
Royal Impact Certification Limited

www.ricliso.com, info@ricliso.com

UNITED ACCREDITATION FOUNDATION

CB-MS-2606

This certificate can be verified at www.iafcertsearch.org, www.uafaccreditation.org or at www.ricliso.com

United Accreditation Foundation Inc.,
1060 Laskin Road, Suite 12B/13B, Virginia Beach VA 23451, United States of America.

UAF is member of International Accreditation Forum (IAF). Its membership status can be verified at www.iaf.nu. This Certificate has been issued by and remains the property of Royal Impact Certification Ltd., 623, Tower-B, iThum, Plot No. A - 40, Sector - 62, Noida - 201301, NCR, India and must be returned on request or if certificate is withdrawn. Validity of this certificate is subject to successful surveillance audits as per dates given above.

प्रेस नोट–175/2026
दिनांक 28.03.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद अम्बेडकर/थाना कोतवाली अकबरपुर

- **50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 27.03.2026 को थाना कोतवाली अकबरपुर व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त आदित्य कुमार को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली अकबरपुर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु रेन्ज स्तर पर 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद अम्बेडकर नगर के थाना कोतवाली अकबरपुर पर चोरी आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली अकबरपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आदित्य कुमार निवासी गौसपुर सोसाइटी थाना कोतवाली अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर।

जनपद शामली/थाना कोतवाली शामली

- **पुलिस कार्यवाही में 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूटे गये पीली धातु के आभूषण**
- **लूट के 1350/–रूपये नगद**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 28.03.2026 को थाना कोतवाली शामली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर आईटीआई कालेज से ग्राम लिसाढ़ जाने वाले रास्ते पर बदमाश की

घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त रईस घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूटे गये पीली धातु के आभूषण, लूट के 1350/–रूपये नगद, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर), 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली शामली पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रईस निवासी राजीव कालोनी पानीपत जनपद पानीपत, हरियाणा।

बरामदगी

1–लूटे गये पीली धातु के आभूषण।

2–लूट के 1350/–रूपये नगद।

3–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)।

4–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद उन्नाव/थाना कोतवाली सदर

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 15 लाख रूपये (कीमत) की चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण, अन्य इलेक्ट्रानिक सामान**
- **नगद रूपये**
- **01 टैम्पों, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 27.03.2026 को थाना कोतवाली सदर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ललऊखेड़ा नहरिया डीह मोड़ के पास से 05 अभियुक्तों 1–शैलेंद्र उर्फ

दीपू 2–रविन्द्र उर्फ बऊवा 3–जलेश उर्फ अयान 4–विशाल उर्फ अनुराग 5–अमन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 15 लाख रूपये (कीमत) की चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण, अन्य इलेक्ट्रानिक सामान, नगद रूपये, 01 टैम्पों, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना कोतवाली सदर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली सदर पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त शैलेंद्र उर्फ दीपू के विरूद्ध जनपद उन्नाव के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 17 अभियोग, अभियुक्त रविन्द्र उर्फ बऊवा के विरूद्ध जनपद उन्नाव के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शैलेंद्र उर्फ दीपू निवासी ग्राम डीह थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव।

2–रविन्द्र उर्फ बऊवा निवासी ग्राम डीह थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव।

3–जलेश उर्फ अयान निवासी शांतिनगर थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव।

4–विशाल उर्फ अनुराग निवासी देवगांव थाना सफीपुर जनपद उन्नाव।

5–अमन निवासी दुर्गागंज नवाबगंज थाना अजगैन जनपद उन्नाव।

बरामदगी

1–लगभग 15 लाख रूपये (कीमत) की चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण, अन्य इलेक्ट्रानिक सामान।

2–नगद रूपये।

3–01 टैम्पों, 01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद शामली/थाना कैराना

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **515 ग्राम अवैध स्मैक बरामद**

दिनांक 28.03.2026 को थाना कैराना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 02 अभियुक्तों 1–फारूख 2–अमजद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 515 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुआ।

इस सम्बन्ध थाना कैराना पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–फारूख निवासी ग्राम भूरा थाना कैराना जनपद शामली।

2–अमजद निवासी ग्राम भूरा थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी

1–515 ग्राम अवैध स्मैक।

- **जनपद सिद्धार्थनगर/थाना पथरा बाजार (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को मृत्युदण्ड की सजा व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा थाना पथरा बाजार पर पंजीकृत अभियोग में धारा 364/302/34 भादवि के अन्तर्गत 02 अभियुक्तों 1–नजीरू उर्फ नजीर 2–अब्दुल्लाह को मृत्युदण्ड व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद मुजफ्फरनगर/थाना नईमण्डी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा थाना नईमण्डी पर पंजीकृत अभियोग में

धारा 307/34/324 भादवि के अन्तर्गत 02 अभियुक्तों 1–आमिर आलम उर्फ खुजला 2–विनोद उर्फ बबलू को आजीवन कारावास व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हापुड़/थाना बाबूगढ़ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हापुड़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हापुड़ द्वारा थाना बाबूगढ़ पर पंजीकृत अभियोग में धारा 5एम/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त गुरमेन्द्र उर्फ गुरविन्दर को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————